

मांग संख्या 41
मुख्य शीर्ष 2202

मद क्रमांक 1

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम अंतर्गत कक्षा 8वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों के शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 1210.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 12,10,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 2, 3 4 एवं 5

केन्द्र प्रवर्तित योजना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ करने हेतु कुल ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 400 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 6 एवं 7

एकीकृत अब्रेला योजना अंतर्गत छात्रवृत्ति मद में कुल ₹ 764.582 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 7,64,58,200 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 8

कल्याण आश्रम धर्मार्थ चिकित्सालय अंतर्गत संविदा पदों के सृजन हेतु आकस्मिकता निधि से ₹100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 9 एवं 10

केन्द्र प्रवर्तित नवभारत साक्षरता कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ₹ 53.50 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 53,50,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2203

मद क्रमांक 11

14 पॉलीटेक्निक संस्थाओं के व्याख्याताओं का मानदेय भुगतान किये जाने हेतु आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 514.356 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 5,14,35,600 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 12

शासकीय पॉलीटेक्निक कांकर में क्षतिपूर्ति मद अंतर्गत वृक्षारोपण हेतु मुआवजा के लिए आकस्मिकता निधि से राशि ₹ 42.07376 लाख का अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गये अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 42,07,376 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2210

मद क्रमांक 13, 14 एवं 15

जिला चिकित्सालय योजना अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार हेतु ₹ 1337.00 लाख, राशन व्यय हेतु ₹ 319.00 लाख एवं दवाईयों मद में ₹ 5300.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹ 6956.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 69,56,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 16, 17, 18 एवं 19

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार हेतु ₹ 364.00 लाख, पेट्रोल तेल आदि हेतु ₹ 7.68 लाख, राशन व्यय हेतु ₹ 114.00 लाख एवं दवाईयों मद में ₹ 2300.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹ 2785.68 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 27,85,68,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 20, 21 एवं 22

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र योजना अंतर्गत बिजली एवं जल प्रभार हेतु ₹ 363.00 लाख, राशन व्यय हेतु ₹ 119.00 लाख एवं दवाईयाँ मद में ₹ 2300.00 लाख इस प्रकार कुल राशि ₹ 2782.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 27,82,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 23

शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान योजना अंतर्गत ₹ 57000.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 570,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 24

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अंतर्गत ₹ 1900.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 19,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है ।

मुख्य शीर्ष 2225

मद क्रमांक 25

जनजातीय गौरव दिवस आयोजन हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2235

मद क्रमांक 26

आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण मद अंतर्गत विभागीय भवनों के मरम्मत एवं सुधार कार्य के लिए अनुदान हेतु ₹ 900.00 लाख का व्यय संभावित है। इस हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 100 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 27 एवं 28

आंगनवाड़ी सेवाओं के अंतर्गत वेतन भत्ते मद में ₹ 3700.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 37,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2401

मद क्रमांक 29

कृषक उन्नति योजना हेतु ₹ 76000.00 लाख का व्यय संभावित है,

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 760,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 30 एवं 31

नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग हेतु आकस्मिकता निधि से ₹ 200 का प्रतीक अग्रिम स्वीकृत किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2408

मद क्रमांक 32

मुख्यमंत्री खाद्यान सहायता योजना हेतु ₹ 70832.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 708,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 33

पी.डी.एस. डीलर का मार्जिन हेतु ₹ 5872.14 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 58,72,14,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 34

राज्य सहकारी विपणन संघ को खाद्यान्न उपार्जन में हुई हानि की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 22800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 228,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 35

अन्त्योदय अन्न योजनांतर्गत चना का प्रदाय किये जाने हेतु ₹ 45150.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 451,50,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 36

गुड़ वितरण योजना हेतु ₹ 3853.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 38,53,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 37

मार्कफेड को खाद्यान्न उपार्जन में हुए व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 22800.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 228,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 38

शक्कर वितरण योजना हेतु ₹ 2573.74 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 25,73,74,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 39

रियायती दर पर आयोडाईज्ड नमक वितरण हेतु सहायक अनुदान योजना हेतु ₹ 3095.86 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 30,95,86,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 40 एवं 41

राईस फोर्टिफिकेशन हेतु ₹ 5405.12 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 54,05,12,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2801**मद क्रमांक 42**

05 एच पी के कृषि पम्पों को निःशुल्क विद्युत प्रदाय हेतु अनुदान हेतु ₹ 83600.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 836,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 43

उपभोक्ताओं को विद्युत शुल्क में राहत हेतु सब्सिडी हेतु ₹ 12425.00820 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 124,25,00,820 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 44

विद्युत कम्पनियों को सहायता हेतु ₹ 28500.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 285,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 45

औद्योगिक इकाईयों को लागत पूँजी अनुदान हेतु राशि ₹ 16264.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 162,64,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4202

मद क्रमांक 46 एवं 47

केन्द्र प्रवर्तित योजना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान प्रारंभ करने हेतु कुल ₹ 50.00 लाख का व्यय संभावित है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 48 एवं 49

केन्द्र प्रवर्तित योजना धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान अंतर्गत निर्माण कार्य मद में कुल ₹ 3000.00 लाख का व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 30,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4210

मद क्रमांक 50

जिला चिकित्सालय योजना अंतर्गत प्रतिस्थापन मद में 50 नग वाहन क्रय हेतु ₹ 500.00 लाख का व्यय संभावित है ।

अतः उक्त प्रयोजन हेतु ₹ 5,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 51 एवं 52

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकर एवं कोरबा के भवन निर्माण हेतु ₹ 8000.00 लाख का व्यय संभावित है। व्यय विभागीय बचत से किया जायेगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 200 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4425

मद क्रमांक 53

मां दंतेश्वरी मक्का प्रसंस्करण इकाई एवं विपणन सहकारी समिति मर्यादित कोण्डागांव हेतु राशि ₹ 432.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु राशि ₹ 4,32,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4702

मद क्रमांक 54

कांकर जिले के बागोड़ एनीकट का पुनः निर्माण सह उद्बहन सिंचाई योजना की अनुमानित लागत ₹ 2512.00 लाख है। मुख्य बजट में यह कार्य दूसरे मद में होने के कारण शीर्ष संशोधन हेतु प्रावधान शामिल किया गया है। यह व्यय विभागीय बचत से किया जाएगा।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 100 के प्रतीक अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 5275

मद क्रमांक 55

संचार क्रांति योजना मद हेतु ₹ 363.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन हेतु ₹ 3,63,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।